न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू0डि0), सितारगंज,
जिला उधम सिंह नगर ।
मुकदमा अपराध संख्या–370/2026

कम्प्यूटर संख्या– 87/2026

कम्प्यूटर फिलिंग संख्या– 87/2026

CNR No.-UKUS110009052026

राज्य बनाम चन्द्रशेखर आर्य

मु0अ0सं0–0370/2026
धारा–8/21/60 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर।

निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र

अभियोजन की ओर से– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, श्री मनोज राय।
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता–श्री विश्वजीत राय।

दिनांक–17.08.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **चन्द्रशेखर आर्य पुत्र आनन्द प्रसाद** निवासी ग्राम बागजाला, गोलापार थाना काठगोदाम जिला नैनीताल, के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के कथन हैं कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त धाराओं में कोई अपराध नहीं किया गया है। थाना पुलिस सितारगंज द्वारा झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी के पास से कोई बरामद नहीं हुआ थाना पुलिस द्वारा झूठा बरामदगी दिखाई है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। प्रार्थी जमानत के काबिल है जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी दिनांक 24.07.2026 से जेल में है। अतः अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

2– उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर थाना कोतवाली सितारगंज से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त के कब्जे से अवैध स्मैक बरामद हुयी है तथा जमानत प्राप्त होने पर उसके इस प्रकार कृत्य करने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः जमानत का घोर विरोध किया गया है।

3– सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

4– पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त पर एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा 8/21/60 के अन्तर्गत दिनांक 24.07.2026, समय 02:10 बजे, स्थान एमवीआर गेट, सिडकुल सर्विस

रोड, चौकी सिडकुल, थाना सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर से अभियुक्त चन्द्रशेखर आर्य उपरोक्त से 5.06 ग्राम मय पन्नी व 04.28 ग्राम शुद्ध वजन स्मैक (हैरोइन) बरामद करने तथा वाहन कार रजि0 संख्या–UK04-AS-2622 से उपरोक्त स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ का परिवहन किये जाने का अभियोग है। अभियुक्त दिनांक 24.07.2026 से जेल में निरूद्ध है। हस्तगत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

5– यह उल्लेखनीय है कि परम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांत **Arnab Manoranjan Goswami Vs State of Maharashtra and Others (2021) 2 SCC 427** में अवधारित किया गया है कि **The basic rule of our criminal justice system is "bail, not jail."**

6– अतः उपरोक्त विश्लेषण के अवलोकन से मामले के गुण–दोष पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना जमानत पर रिहा किये जाने के पर्याप्त आधार विद्यमान है।

आदेश

अभियुक्त **चन्द्रशेखर आर्य पुत्र आनन्द प्रसाद** को मुकदमा अपराध संख्या–370/2026 अन्तर्गत धारा 8/21/60 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में अभियुक्त को मु0– 30,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को प्रेषित हो।

(नन्दिता काला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू0डि0)
सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर।